



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरावाला, देहरादून - 248001

दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137, ईमेल : info@uau.ac.in

पत्रांक : /उ0आ0वि/Res-1/2015

दिनांक : 1 मई, 2015
June

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसरों तथा सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में अध्यनरत एम0डी0एम0एस0 के छात्र/छात्राओं के शोध कार्य हेतु गाइड एवं को-गाइड (Guide & Co-Guide) हेतु केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली की नियमावली पी0जी0 रेगुलेशन 9(13), 13 (1) तथा यू0जी0 रेगुलेशन 12 (बी) के अन्तर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम अर्हता शिक्षक को स्नातकोत्तर (सम्बन्धित/Allied विषय में) होना आवश्यक है।


शोध प्रबन्ध को विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने से पूर्व यह सूनिश्चित करे ले कि केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के उक्त नियम सहित अन्य सभी मानको का पूर्णतय पालन किया गया हों।

(डॉ0 मृत्युंजय कुमार)
कुलसचिव

पत्रांक : 05 /उ0आ0वि/Res-1/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. परिसर निदेशक, गुरुकुल/ऋषिकुल परिसर (हरिद्वार), उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
3. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/निजी संस्थान।
4. प्रशासनिक अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. वैबसाइट प्रभारी।
6. गार्ड फाइल।


(डॉ0 मृत्युंजय कुमार)
कुलसचिव